



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 अगस्त 2018—श्रावण 10, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2018

एफ 73-01-2012-अडीतीस-3.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 15-ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 5 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द “अथवा पदोन्नति” का लोप किया जाए.
- नियम 29 में, उप-नियम (1) में, अंक एवं शब्द “60 वर्ष”, के स्थान पर अंक एवं शब्द “62 वर्ष” स्थापित किया जाए.
- अनुसूची-एक में, नोट-2 में, शब्द “अथवा पदोन्नति” का लोप किया जाए.
- यह अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई 2018 से लागू होगी.

F. 73-01-2012-XXXVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 15-C of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh State University Service Rules, 1983, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- In rule 5, in sub-rule (1), in clause (c), the words “of by promotion” shall be omitted.
- In rule 29, in sub-rule (1), for the figure and word “60 years”, the figure and word “62 years” shall be substituted.
- In Schedule-I, in Note-2, the words “or by promotion” shall be omitted.
- This notification shall come into force from 31st July 2018.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नाथडू, अपर मुख्य सचिव.